

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(9)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक : 19/6/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे रु. 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 14(1)एफडी/रूल्स/2013पार्ट दिनांक 08-06-2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03-7-2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिदीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. नेहा शर्मा 6-गोपीनाथ मार्ग, न्यू कॉलोनी, जयपुर (राज.)-302001	एम-02	22-6-1983	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2.	डॉ. गोपाल झालाणी प्लॉट नं.-11, गोलीमार गार्डन के पीछे, प्रताप नगर कॉलोनी, रामगढ मोड, जयपुर-302002	एम-03	06-3-1984	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, कोटा
3.	डॉ. प्रीति शर्मा 53, पद्मावती कॉलोनी बी, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राज.)-302019	एम-06	03-7-1979	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, कोटा
4.	डॉ. नरेन्द्र परमार C/o श्रीमती पुष्पा परमार ए-279, सरस्वती नगर, सेन्ट एम्स स्कूल के पास, बासनी फेज-प्रथम, जोधपुर (राज.)-342005	एम-07	20-1-1982	अनुसूचित जाति	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5.	डॉ. विमलेश कुमार मीना पुत्र श्री मकखन लाल मीना ग्राम व पोस्ट- दनलपुर (DANALPUR), तहसील-हिण्डौन सिटी, जिला-करौली (राज.)-322220	एम-08	15-7-1988	अनुसूचित जनजाति	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
6.	डॉ. जयनारायण कुम्हार 459, अमरपुरा बास, भीनासर बीकानेर (राज.) 334403	एम-09	10-9-1981	अ.पि.जा. {BC LD (OL)}	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम / 2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

क्रमशः- 2

19/6/17

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्याधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन हैं।

आदेश से,


(भगवत सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(32)मर्ती/गोपनीय/2014-15/10 दिनांक 13.4.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(9)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक : 19/6/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे रू. 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 14(1)एफडी/रूल्स/2013पार्ट दिनांक 08-06-2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03-7-2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. दीपशिखा यादव सौ-3, हरिमार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.)-302006	एम-01	13-11-1985	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2.	डॉ. (श्रीमती) कोपल नीमावत बी-33, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.)-302018	एम-04	09-01-1985	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3.	डॉ. नजमूल हसन पुत्र श्री मोहम्मद अमीन कमरा नं.-216, रेजीडेन्ट हॉस्टल, रेजीडेन्सियल कॉम्पलेक्स, एम्स, बासनी-फेज-2, जोधपुर (राज.)-342005	एम-05	15-01-1990	अ.पि.जा.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम / 2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,

(भगवत सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(32)भर्ती/गोपनीय/2014-15/10 दिनांक 13.4.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/जोधपुर/जयपुर।
6. संबधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव